सत्यमेव जयते

राजस्थान - सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2021-2022

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,

राजस्थान, अजमेर

क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	प्रशासनिक व्यवस्था	2
3.	विभाग में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों का विवरण	3
4.	मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं विभागीय कार्य परिणाम	4
5.	गत 3 वर्षों में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति एवं पंजीयन हेतु प्राप्त दस्तावेजों का विवरण	5
6.	मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण	6
7.	भूमि कर की वसूली	7
8.	विभिन्न वर्गों को स्टाम्प ड्यूटी में दी गई रियायत	7
9.	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्टाम्प शुल्क में रियायत के लिए जारी अधिसूचनाओं का विवरण	8–10
10.	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विशेष पहल एवं उपलब्धि (नवाचार एवं कार्य का सरलीकरण)	11
11.	स्टाम्प वेण्डरों के स्टाम्प विक्रय रजिस्टरों की मासिक जांच व वर्ष के अन्त में शेष स्टाम्प पर नए साल की मोहर लगाने के निर्देश और मुद्रांकों की मांग एवं प्रदायगी की व्यवस्था	12–13
12.	नवीन कार्यों की कार्य योजना	13
13.	प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति	14
14.	विभाग में आधारभूत सुविधाओं का विवरण	15
15.	स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय विवरण	15–17
16.	विभाग के मुख्य अधिकारियों के नाम/ पदनाम/दूरभाष/ मोबाईल/फैक्स नम्बर जयपुर एवं अजमेर	18–19
17.	अतिरिक्त महानिरीक्षक जयपुर एवं उप महानिरीक्षकों के नाम/ /दूरभाष/ मोबाईल नम्बर	19–20
18.	राजस्थान में पूर्णकालिक उप पंजीयकों की सूची	21–22
19.	विभाग की प्रशासनिक संरचना	23
20.	सार – संक्षेप	24

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22

प्रस्तावना :–

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908, राजस्थान पंजीयन नियम 1955, खण्ड प्रथम व द्वितीय, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 व राजस्थान स्टाम्प नियम–2004 के क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। यह विभाग राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

पंजीयन अधिनियम व उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत विभागीय पंजीयन अधिकारी दस्तावेजों के पंजीयन एवं पंजीयन सम्बंधी अन्य सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराते हैं। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर एवं अधिभार का संग्रहण किया जाता है। इस कर संग्रहण के लिये मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी, कलक्टर (मुद्रांक) एवं उप पंजीयकों की व्यवस्था है। वर्तमान में मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर तथा कलक्टर (मुद्रांक) के रूप में विभागीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यरत हैं। उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्णकालिक उप पंजीयक एवं पदेन उप पंजीयक कार्यरत हैं।

राजस्थान का पृथक् स्टाम्प अधिनियम :– दिनांक 27.05.2004 से पूर्व राज्य का अलग स्टाम्प अधिनियम नहीं था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ही लागू था। दिनांक 27.05.2004 से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 लागू किया गया है तथा इसके तहत राजस्थान स्टाम्प नियम 2004, दिनांक 11.06.2004 से लागू किये गये हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था :–

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का मुख्यालय अजमेर में ''पंजीयन भवन, लोहागल रोड़, जनाना हॉस्पिटल के पास'' स्थित है। मुख्यालय पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर विभागाध्यक्ष हैं। महानिरीक्षक के सहयोग हेतु अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन), अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन), अतिरिक्त महानिरीक्षक (मूल्यांकन), वित्तीय सलाहकार, संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी, सहायक विधि परामर्शी, उप महानिरीक्षक (कर) एवं उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन), सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), उप वित्तीय सलाहकार, लेखाधिकारी, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), प्रोग्रामर, उप नगर नियोजक, तहसीलदार एवं सहायक लेखाधिकारी के पद सृजित हैं। अधीक्षक मुद्रांक की शक्तियां अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) को प्रदत्त हैं। विभाग के पास 06 आन्तरिक लेखा जांच दल स्वीकृत हैं तथा मुख्यालय पर 82 मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। विभाग के अधीन वर्तमान में 04 अतिरिक्त महानिरीक्षक, 20 उप महानिरीक्षकों के पद स्वीकृत हैं। विभाग के अधीन कुल 540 उप पंजीयक कार्यालय स्वीकृत हैं जिनमें से 113 पद पूर्णकालिक एवं शेष 427 पदेन उप पंजीयक कार्यालय कार्यरत हैं। गत वित्तीय वर्ष में महानिरीक्षक व मुख्यालय पर अतिरिक्त महानिरीक्षक पद पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत रहे हैं :–

क्र.सं	नाम व पद	अवधि
1.	श्री महावीर प्रसाद, महानिरीक्षक	दिनांक 25.09.2019 से लगातार

क्र.सं	नाम व पद	अवधि
1	श्री ओंकार मल, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)	दिनांक 16.09.2019 से लगातार
2	श्री भगवत सिंह राठौड, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन)	दिनांक 11.01.2021 से लगातार

क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) का एक पद जयपुर में, उप महानिरीक्षक कार्यालय, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ, जयपुर–प्रथम, जयपुर–द्वितीय, जयपुर–तृतीय, अलवर–प्रथम, अलवर–द्वितीय, कोटा, अजमेर, पाली, भीलवाडा, भरतपुर, बांसवाडा, सीकर, बाड़मेर में हैं। इसके अतिरिक्त, उप महानिरीक्षक के 02 पद मुख्यालय अजमेर एवं 01 पद उप महानिरीक्षक (करापवंचन), राजस्थान विशेष वृत जयपुर के लिये स्वीकृत हैं। इन पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित किये जाते हैं।

विभाग में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	महानिरीक्षक	1	1	0
2.	अतिरिक्त महानिरीक्षक	4	3	1
3.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
4.	उप महानिरीक्षक	20	16	4
5.	संयुक्त विधि परामर्शी	2	2	0
6.	उप विधि परामर्शी	1	1	0
7.	सिस्टम ऍनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	0
8.	उप वित्तीय सलाहकार	1	1	0
9.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	2	2	0
10.	लेखाधिकारी	1	1	0
11.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2	1	1
12.	सहायक विधि परामर्शी	1	0	1
13.	उप नगर नियोजक	1	0	1
14.	प्रोग्रामर	11	11	0
15.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड ।	6	6	0
16.	प्रशासनिक अधिकारी	2	0	2
17.	निजी सचिव	1	0	1
18.	अतिरिक्त निजी सचिव	3	1	2
19.	तहसीलदार	2	0	2
20.	उप पंजीयक	113	14	99
21.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड ।।	15	12	3
22.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	10	5	5
23.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	103	44	59
24.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
25.	सहायक प्रोग्रामर	25	20	5
26.	नायब तहसीलदार	13	4	9
27.	गिरदावर	95	62	33
28.	सूचना सहायक	312	235	77
29.	निजी सहायक	7	4	3
30.	कनिष्ठ लेखाकार	11	6	5
31.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
32.	शीघ्रलिपिक	10	4	6
33.	वरिष्ठ सहायक	216	68	148
34.	कनिष्ठ सहायक	356	336	20
35.	वाहन चालक	4	0	4
36.	सहायक कर्मचारी	279	48	231
योग		**1634**	**912**	**722**

मुख्य सतर्कता अधिकारी :– विभाग में कार्यरत अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, जयपुर को विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके कार्यालय/आवास का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम व पद	कार्यालय का पता	कार्यालय का आई.पी.नं./ दूरभाष नम्बर	फैक्स नं. (कार्यालय)	निवास स्थान का पता व निवास फोन नं.
1.	श्री सुनील भाटी, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर	अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर वित्त भवन, कमरा नं. 401, चतुर्थ तल जयपुर	0141–2740503 मोबाईल – 94133–49447	0141–2740503	53–ए, राम नगर मानसरोवर, जयपुर –302020

विभागीय कार्य परिणाम :–

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की कार्य कुशलता का आंकलन मुख्य चार मापदण्डों से किया जा सकता हैः–

- विभाग के लिये निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की उपलब्धि।
- पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का तुरन्त पंजीयन करना।
- कलेक्टर मुद्रांक के पास लम्बित मुद्रांक मुकदमों का शीघ्र निस्तारण एवं बकाया वसूली।
- भूमि कर की वसूली।

राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति :–

गत 3 वर्षों में निर्धारित राजस्व लक्ष्यों एवं उनकी प्राप्ति का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आय (करोड़ो में)	उपलब्धि का प्रतिशत	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
2018–19	4750.00	3886.03	81.81	5.75
2019–20	5350.00	4234.73	79.15	8.97
2020–21	5550.00	5297.27	95.45	25.09
2021–22 (दिसम्बर 2021 तक)	6100.00	4581.16	75.10	26.99

विभाग में गत 3 वर्षों में पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण :–

वर्ष	विक्रय दस्तावेज	अन्य दस्तावेज	कुल दस्तावेज
2018–19	493151	1263565	1756716
2019–20	507304	1201416	1708720
2020–21	581375	1080136	1661511
2021–22 (दिसम्बर 2021 तक)	515826	944677	1460503

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को वर्ष 2020–21 में 5550 करोड़ रूपये के आवंटित राजस्व लक्ष्य के विपरीत 5297.27 करोड़ रूपये की आय अर्जित हुई। वर्ष 2019–20 की तुलना में 25.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2021–22 के लिए विभाग को 6100.00 करोड़ रूपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक कोषालय से प्राप्त आय अनुसार 4581.16 करोड़ रूपये की राजस्व आय का संग्रहण किया गया है।

<u>मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण</u> :– कलेक्टर (मुद्रांक) के यहां विचाराधीन प्रकरणों का निम्नानुसार निस्तारण किया गया –

वृत कार्यालय का नाम	1.4.2021 को विचाराधीन प्रकरणों की संख्या	दिसम्बर 2021 तक दर्ज प्रकरणों की संख्या	दिसम्बर 2021 तक विचाराधीन कुल प्रकरणों की संख्या	दिसम्बर 2021 तक निस्तारित प्रकरणों की संख्या	दिसम्बर 2021 के अंत में शेष विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
अजमेर	734	232	966	87	879
अलवर-प्रथम	21	27	48	27	21
अलवर-द्वितीय	232	54	286	160	126
बाडमेर	132	272	404	109	295
बांसवाडा	211	48	259	160	99
भरतपुर	484	252	736	279	457
भीलवाडा	388	264	652	308	344
बीकानेर	34	127	161	83	78
हनुमानगढ	72	145	217	91	126
जयपुर-प्रथम	441	518	959	327	632
जयपुर-द्वितीय	249	254	503	197	306
जयपुर-तृतीय	604	393	997	371	626
जोधपुर	327	235	562	353	209
कोटा	200	65	265	96	169
पाली	56	100	156	108	48
सीकर	764	215	979	156	823
उदयपुर	127	193	320	179	141
उप महानिरीक्षक (करापवंचन), जयपुर	82	40	122	09	113
योग	**5158**	**3434**	**8592**	**3100**	**5492**

भूमि कर की वसूली :– राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 के द्वारा राज्य में भूमिकर का प्रावधान किया गया था जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 06.03.2013 के द्वारा दिनांक 01.04.2013 से भूमिकर में पूर्णतः छूट प्रदान कर दी गई थी। वित्त (कर) विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ.6(2)वित्त/कर/2019–88 दिनांक 19.11.2019 द्वारा विभिन्न प्रकार की खनन भूमियों पर भूमिकर की दरों का निर्धारण किया गया है। इसके पश्चात् वित्त (कर) विभाग द्वारा अधिसूचना 19.11.2019 को अधिक्रमित कर नवीन अधिसूचना क्रमांक एफ.6(2)वित्त/कर/2019–149 दिनांक 30.03.2020 से भूमि के प्रकार और भूमिकर की दरों का पुनः निर्धारण करते हुए भूमिकर दिनांक 01.04.2020 से लागू किया गया है। वित्तीय 2021–22 में विभाग को ₹ 300.00 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया है जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2021 तक इस मद में ₹ 47.12 करोड़ का राजस्व संग्रहित हुआ है।

भूमिकर		
वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक आय (राशि करोड़ में)
2018–19	10.00	0.64
2019–20	1.00	1.32
2020–21	300.00	62.71
2021–22 (दिसम्बर 2021 तक)	300.00	47.12

विभिन्न वर्गों को स्टाम्प ड्यूटी में दी गई रियायत :–

वर्ष	सामान्य महिलाओं के पक्ष में		एस.सी./एस.टी./बी.पी.एल. के पक्ष में		विशेष योग्यजन (निशक्तजन) के पक्ष में	
	पंजीबद्ध दस्तावेज	रियायत (करोडों में)	पंजीबद्ध दस्तावेज	रियायत (करोडों में)	पंजीबद्ध दस्तावेज	रियायत (करोडों में)
2018–19	174735	125.96	34815	35.83	843	0.50
2019–20	180270	163.49	34287	39.80	804	0.65
2020–21	215777	153.17	37514	41.23	800	0.60
2021–22 (दिसम्बर 2021 तक)	155740	116.04	33720	36.15	451	0.37

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्टाम्प शुल्क में रियायत के लिए जारी अधिसूचनाओं का विवरण :–

1. कोविड–19 से प्रभावित रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसायों को गति प्रदान करने के लिये आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमियों की DLC दर 10 प्रतिशत कम करने के साथ ही रिसोर्ट, खनन, मोबाईल टावर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि की भूमियों की DLC दरों को भी तर्कसंगत किये जाने के लिये राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–281 दिनांक 24.02.2021, राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–280 दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18)एफडी/टैक्स/2015–288 दिनांक 25.03.2021 जारी की गई।

2. आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों को दिनांक 24.02.2021 से 10% घटायी गई एवं वर्ष 2021–2022 की डीएलसी दरों में वृद्धि नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये।

3. राज्य अधिसूचना दिनांक 24.02.2021, 02.07.2021 एवं 04.10.2021 से शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक की कीमत के फ्लेट पर स्टाम्प ड्यूटी **6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत** की गई है।

4. Affordable Housing हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी EWS के लिये 1 प्रतिशत तथा LIG के लिये 2 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 0.50 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत किये जाने एवं यह लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उपलब्ध होने के संबंध में आवश्यक प्रावधान राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–272 दिनांक 24.02.2021 द्वारा किये गये।

5. आमजन को स्टाम्प ड्यूटी में राहत देते हुए, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी, सम्पत्ति के बाजार मूल्य (DLC) के बजाय आवंटन (Allotment) राशि पर लेने का प्रावधान करने के लिए राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–273 दिनांक 24.02.2021 जारी की गई।

6. स्थानीय निकायों से पट्टा लेने से पहले ऐसी भूमि के संबंध में, 14 जुलाई, 2014 के बाद निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों (मध्यवर्ती) पर स्टाम्प ड्यूटी भूमि के बाजार मूल्य (DLC) के स्थान पर DLC के 40 प्रतिशत पर लिए जाने का प्रावधान करने के लिए राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–273 दिनांक 24.02.2021 जारी की गई।

7. रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिये विक्रय इकरारनामों (Agreements to Sale) पर प्रदत्त स्टाम्प ड्यूटी के समायोजन की अवधि को

3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किये जाने के प्रावधान राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 के अध्याय–2 खण्ड–5 के उपबन्ध–(i) के द्वारा किये गये।

8. पूर्व में पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत माता–पिता, भाई–बहन, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री, बुआ–भतीजा, मामा–भांजा, मामा–भांजी तथा पति–पत्नि को ही उपलब्ध थे। उक्त लाभ अविभाजित पैतृक सम्पत्ति के सभी सह–हिस्सेदारों और उनके उत्तराधिकारियों को भी दिये जाने के प्रावधान राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 के अध्याय–2 खण्ड–5 के उपबन्ध–(iii) के द्वारा किये गये।

9. पूर्व में पुत्रियों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 1 प्रतिशत व अधिकतम 1 लाख रुपये थी, जबकि पुत्रवधुओं के लिये स्टाम्प ड्यूटी 2.5 प्रतिशत थी। पुत्रवधुओं को भी पुत्रियों के समान ही रियायत दिये जाने तथा पोता–पोती, दोहिता–दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णरूप से मुक्त किये जाने के लिए राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–274 दिनांक 24.02.2021 जारी की गई।

10. राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–278 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा प्रतिभूति बंध–पत्र (Security Bond) पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये की गई।

11. राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(76)एफडी/टैक्स/2017 पार्ट–296 दिनांक 31.03.2021 द्वारा ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टाम्प ड्यूटी के पुराने मामलों का निपटारा करने के लिये 1 अप्रेल, 2021 से एक नई Amnesty Scheme दिनांक 30.09.2021 तक के लिये लागू की गई।

12. राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–279 दिनांक 24.02.2021 द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं ई–पंजीयन योजना के अनुरूप करने तथा स्टाम्प वेन्डर्स की सहभागिता बढाने के लिए ई–स्टाम्प पर कमीशन को बढ़ाकर भौतिक स्टाम्प पत्रों के समान 400 रूपये तक 2 प्रतिशत तथा 401 से अधिक राशि के स्टाम्पों पर 1 प्रतिशत किया गया।

13. प्रदेश में Public-Private Partnership परियोजनाओं में निवेश प्रोत्साहन के लिये Concession Agreement की परिभाषा को संशोधित कर इसकी परिधि में केन्द्र सरकार एवं उसके उपक्रमों एवं निकायों को भी सम्मिलित किये जाने के प्रावधान राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय–2 खण्ड–3 के उपबन्ध–(ii) के द्वारा किये गये।

14. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी आदि से LLP (Limited Liability Partnership) में संपरिवर्तन के दस्तावेजों पर स्टाम्प

ड्यूटी 0.50 प्रतिशत देय है। LLP से प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संपरिवर्तन के दस्तावेजों पर भी समान स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के संबंध में आवश्यक प्रावधान राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय–2 खण्ड–5 के उपबन्ध–(ii) तथा राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–276 दिनांक 24.02.2021 से किये गये।

15. कोविड–19 के दौरान 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर देय Land Tax पर ब्याज एवं शास्ति में दिनांक 30 जून, 2021 तक रियायत के उद्देश्य से राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/ 2021–287 दिनांक 24.02.2021 जारी की गई।

16. खाली आवासीय भूखण्ड(प्लॉट), जिसका बाजार मूल्य 25 लाख रूपये से अधिक नहीं है, से सम्बंधित हस्तान्तरण विलेख पर दिनांक 04.10.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक पंजीबद्ध होने पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 4 प्रतिशत की दर से प्रभारित करने का प्रावधान किया गया।

17. राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(7)वित्त/कर/2021–54 दिनांक 30.09.2021 जारी कर प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 की अवधि (02.10.2021 से 31.03.2022)के दौरान मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य पर 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य करने का प्रावधान किया गया।

18. राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(7)वित्त/कर/2021–55 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा सहमती पत्र विलेख एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.2(7)वित्त/कर/2021–56 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा फ्री–होल्ड पट्टा विलेख, न्यू लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान की गई।

19. राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(2)वित्त/कर/2021–43, 44 दिनांक 19.07.2021 द्वारा सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 के अन्तर्गत अलाभकारी संस्थाओं के पक्ष में निष्पादित होने वाले विक्रय, लीज एवं दान के दस्तावेजों पर हक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में 100% रियायत प्रदान की गई है।

20. राज्य अधिसूचना क्रमांक प.2(18)वित्त/कर/2020–87 दिनांक 27.12.2021 द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना–2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि में निष्पादित 50 हजार रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विशेष पहल एवं उपलब्धि (नवाचार एवं कार्य का सरलीकरण) :–

1. विभाग के सभी उप पंजीयक कार्यालयों को कम्प्यूटराईज्ड किया जा चुका है। अतः विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में ऑनलाईन ई–पंजीयन के माध्यम से दस्तावेज पंजीयन का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

2. मौका निरीक्षण मोबाईल एप के माध्यम से पंजीबद्ध दस्तावेज में उल्लेखित सम्पति का मौका निरीक्षण कार्य समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में किया जा रहा है।

3. मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत आमजन को राहत प्रदान करने के लिए ऑनलाईन रिफण्ड माडयूल दिनांक 30.07.2021 से समस्त राजस्थान में लागू कर दिया गया है। यह एक सिंगल विण्डों मॉड्यूल है, जिसमें रिफण्ड के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है तथा रिफण्ड की रकम सीधे आवेदक के खाते में जमा हो जाती है। इसमें रिफण्ड की स्वीकृति के विभिन्न स्तरों को समाप्त कर केवल उप महानिरीक्षक के कार्यालय से ऑनलाईन स्वीकृति का प्रावधान किया गया है।

4. आमजन की सुविधा के लिये पंजीयन प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से "Anywhere-Online Registration" प्रणाली लागू करने एवं इस क्रम में DLC दरों का Technology के माध्यम से निर्धारण किया जाकर Geo-tagging के साथ Online किये जाने के उद्देश्य से वित्त विभाग के पत्रांक प. 5(3)वित्त/कर/2021 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा मूल्यांकन सेल का गठन किया गया है। उक्त घोषणा के अनुसरण में DLC के डिजिटाईजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में यह जयपुर, अजमेर, उदयपुर के उप पंजीयक कार्यालयों में Geo-tagging का कार्य किया जा रहा है। जयपुर के 15 उप पंजीयक कार्यालयों में Geo-tagging का कार्य पूर्ण हो चुका है।

5. जमाबन्दी में ऑटो म्युटेशन के लिये ई–पंजीयन ऑनलाईन सॉफ्टवेयर को एल.आर.सी. (लेण्ड रिकार्ड) कम्प्यूटराईजेशन डाटाबेस के साथ एकीकृत किया गया। दिनांक 15.10.2020 से ऑटो म्यूटेशन 365 उप पंजीयक कार्यालयों में लागू किया जा चुका है।

स्टाम्प वेण्डरों के स्टाम्प विक्रय रजिस्टरों की मासिक आधार पर जाँच व वर्ष के अन्त में शेष स्टाम्प पर नए साल की मोहर लगाने के निर्देश :–

स्टाम्प वेण्डरों द्वारा स्टाम्प विक्रय करने के क्रम में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 32, 33 व 34 के अन्तर्गत स्टाम्प वेण्डरों के द्वारा स्टाम्प विक्रय के संबंध में प्रावधान किये हुए हैं।

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 36 के अनुसार प्रपत्र–डी में स्टाम्प का स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें कोषालय से प्राप्त स्टाम्प की प्राप्ति, स्टाम्प विक्रय व बैलेंस का विवरण अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर का, कोषालय से स्टाम्प प्राप्त किये जाने पर कोषाधिकारी से प्रमाणीकरण कराया जाता है। हर माह रजिस्टर की जांच संबंधित उप पंजीयक से भी करानी आवश्यक की गयी है।

वित्तीय वर्ष के अन्त में अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक)/उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) के कार्यालय में उक्त रजिस्टर को जमा कराया जाता है। यह आदेश जारी किए गए कि वर्ष के अन्त में विक्रय से शेष रहे स्टाम्प के स्टॉक का एवं राशि का अंकन नये वित्तीय वर्ष में रजिस्टर में कर उसका प्रमाणीकरण कार्यालय की मोहर लगाकर किया जायेगा तथा शेष स्टाम्प की पुश्त पर नए वर्ष की गोल मोहर लगायी जाती है।

इन प्रावधानों से स्टाम्प वेण्डर द्वारा स्टाम्प बैक डेट में विक्रय नही कर सकेंगे, संबंधित व्यापक दिशा निर्देश विभागीय स्तर से जारी किये गये हैं।

मुद्रांकों की मांग एवं प्रदायगी की व्यवस्था :–

राज्य में सभी दरों के मुद्रांकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए छः माही मांग–पत्र मुख्यालय, अजमेर द्वारा केन्द्रीय मुद्रांक डिपो, नासिक रोड एवं भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद को भिजवाये जाते हैं। ज्युडिशियल/नोन ज्युडिशियल मुद्रांक दर रूपये 10/– तथा 20/– की सप्लाई भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से तथा शेष नोन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प/ज्युडिश्यिल स्टाम्प की सप्लाई नासिक रोड से सीधे ही कोष कार्यालय, अजमेर (नोडल प्वाइन्ट) को व्यक्तिगत सुपुर्दगी के माध्यम से भिजवाये जाते हैं। जिला कोषालय अजमेर द्वारा विभिन्न जिला कोषालयों को तथा जिला कोषालय द्वारा उनके अधीन उप–कोषागार को वितरण हेतु आपूर्ति किये जाते हैं। किसी जिले में किसी कोष विशेष में मुद्रांकों की अचानक कमी होने पर विभिन्न कोषागारों में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर आदान–प्रदान के जरिये अधीक्षक (मुद्रांक) द्वारा आपात् परिस्थिति में पूर्ति कराई जाती है। केन्द्रीय मुद्रांक डिपो, नासिक रोड से अनियमित आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर कोषालय में मुद्रांकों का सुरक्षित भण्डार स्थापित किया हुआ है तथा राज्य के दूर दराज के कोषागारों की

स्थिति को ध्यान में रखते हुए संभाग मुख्यालय के कोषागारों में पर्याप्त मुद्रांक भण्डारण किया जा रहा है ताकि आपात परिस्थिति में पूर्ति सम्बन्धित कोषागारों को निकटतम कोषालयों से करायी जा सके।

कोषालयों द्वारा मुद्रांकों का विक्रय अनुज्ञा–पत्र धारी मुद्रांक विक्रेताओं और आम जनता को सीधे ही किया जा सकता है। अनुज्ञा–पत्र धारी मुद्रांक विक्रेता आवश्यकतानुसार तहसील/उपखण्ड एवं जिला मुख्यालयों पर नियुक्त हैं। शहरी इलाको में ई–मित्र कियोस्क धारकों को स्टाम्प वेण्डर का अनुज्ञा–पत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के निर्देश दिये हुए हैं। स्टाम्प की उपलब्धता ग्रामीण इलाकों में भी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विभाग ने ग्राम सरपंच, ग्राम स्कूल मास्टर एवं अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को स्टाम्प विक्रय का लाईसेंस जारी करने के प्रावधान किये हुए हैं एवं इस हेतु क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) को अधिकृत किया हुआ है। अनुज्ञा–पत्र धारी मुद्रांक विक्रेता एक दस्तावेज के लिए अधिकतम 50000/– रूपये तक के मुद्रांक विक्रय करने के लिए अधिकृत है। जो मुद्रांक विक्रेता ई–स्टाम्प विक्रय करने हेतु भी अधिकृत है उनके लिए एक दस्तावेज के लिये अधिकतम रूपये 1,00,000/– तक के मुद्रांक विक्रय करने के लिए अधिकृत हैं।

मुद्रांक विक्रेता को देय कमीशन की दरें सभी प्रकार के मुद्रांकों पर दिनांक 09.03.2011 से निम्न प्रकार से देय हैः–

1–	रूपये 1 से 400 तक	2 प्रतिशत
2–	रूपये 401 से और अधिक रूपये	1 प्रतिशत

नवीन कार्यों की कार्य योजना :–

1. पंजीयन कार्यालयों में तकनीकी आधारभूत सुविधाऐं बढाने के लिए 56 कम्प्यूटर तथा अन्य हार्डवेयर क्रय किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी अनुमानित लागात 59.75 लाख रूपये है।
2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कतिपय दस्तावेजों का "Anywhere-Online Registration" करने का प्रावधान किया जाएगा। जिसमें पक्षकार सीधे अपने घर से दस्तावेज तैयार कर विडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हो सकेंगे।
3. बजट घोषणा 2021–22 के तहत DLC दरों का Technology के माध्यम से निर्धारण किया जाकर Geo-tagging के साथ Online किया जा रहा है। प्रथम चरण में जयपुर जिले के 15 उप पंजीयक कार्यालयों में Geo-tagging का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अजमेर एवं उदयपुर के उप पंजीयक कार्यालयों मे DLC डिजिटाईजेशन का कार्य प्रगतिरत है।

सूचना का अधिकार :–

वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आज्ञा क्रमांक प.23(16)वित्त/कर/08 दिनांक 22.11.2016 से विभाग के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं :–

क्र.सं	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	अतिरिक्त महानिरीक्षक, (प्रशासन) पंजीयन एवं मुद्रांक, वित्त भवन जयपुर (उनके कार्यालय के लिये)	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
2.	अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर। (कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर के लिये)	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर
3.	समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान(उनके कार्यालय के लिये)	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4.	समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन) (उनके कार्यालय के लिये)	संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.23(16)वित्त/कर/2008 दिनांक 18.07.2018 द्वारा विभाग के लिए निम्नलिखित सहायक लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैः–

क्र.स.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) (कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर के लिये)	अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन) (कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर के लिये)	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नोडल अधिकारी – अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन)
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन पोर्टल हेतु नोडल अधिकारी – संयुक्त निदेशक (सिस्टम ऍनालिस्ट)

विभाग में आधारभूत सुविधाओं का विकास :–

(क) भवन निर्माण :– निम्नलिखित कार्यालयों के लिए विभागीय भवनों की व्यवस्था की जा चुकी है:–

1. मुख्यालय भवन, अजमेर
2. केन्द्रीय अभिलेखागार, भवन अजमेर
3. उपमहानिरीक्षक कार्यालयों के भवन

   कुल भवन – 18
   विभागीय भवन में संचालित – 12
   सरकारी/अन्य भवन में संचालित – 05
   किराये के भवन में संचालित – 01

4. पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयों के भवन : विभाग में कुल 113 पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालय स्वीकृत हैं। वर्तमान में 61 उप पंजीयक कार्यालय विभागीय भवन में संचालित हैं तथा शेष उप पंजीयक कार्यालय राजकीय भवन/किराये के भवनों में संचालित हैं।
5. इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम मद में राशि ₹364.36 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जो कि विभागीय भवन निर्माण कार्यों हेतु है। निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। माह दिसम्बर, 2021 तक राशि ₹123.15 लाख का व्यय हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में वर्ष 2017–18 के बजट भाषण में घोषित 15 भवनों में से 11 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उप पंजीयक कार्यालय भिवाडी के भवन निर्माण हेतु नवीन भूमि का आवंटन कर दिया गया है जिससे नवीन भवन निर्माण की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग से की जा रही है।

विभाग को वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 12/2021 तक व्यय का विवरण

बजट मद/उपमद	बजट प्रावधान 2021-22	माह 12/2021 तक व्यय (अनुमानित) राशि लाखों में
2030-स्टाम्प और पंजीकरण		
01- स्टाम्प न्यायिक		
001- निदेशन और प्रशासन	40.98	35.96
101-57- स्टाम्पों की लागत	300.00	58.70
102-42 प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	0.01	0.00
102-57- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	70.00	37.12

बजट मद/उपमद	बजट प्रावधान 2021-22	माह 12/2021 तक व्यय (अनुमानित) राशि लाखों में
योग- 01 स्टाम्प न्यायिक	**410.99**	**131.78**
02 स्टाम्प न्यायिकेतर		
001-01- निदेशन और प्रशासन		
01- संवेतन	82.88	73.83
03- यात्रा व्यय	1.00	0.42
04- चिकित्सा व्यय	0.70	0.00
05- कार्यालय व्यय	2.00	1.94
06- वाहन क्रय	0.01	0.00
07- वाहन संघारण	2.00	1.48
36- वाहन किराया	3.60	3.24
37- वर्दियां एवं अन्य सुविधाएं	0.02	0.00
योग - 02-001	**92.21**	**80.91**
(-) घटाइए 5:4 आनुपातिक व्यय मद 01-001 को स्थानान्तरित	40.98	35.96
योग 02-001	**51.23**	**44.95**
101-57- स्टाम्पों की लागत	3000.00	1443.58
102-42 प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	13.45	8.08
102-57- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	1600.00	3396.60
योग-02- स्टाम्प न्यायिकेत्तर	**4664.68**	**4893.21**
03- पंजीकरण (01)- अधीक्षण		
01- संवेतन	277.00	151.95
03- यात्रा व्यय	1.00	1.00
04- चिकित्सा व्यय	1.00	0.87
05- कार्यालय व्यय	2.00	1.50
06- वाहन क्रय	0.01	0.00
07- वाहन संघारण	1.00	0.98
08- वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएं	20.00	19.37
11- विज्ञापन, विक्रय प्रचार एवं प्रसार व्यय	6.00	1.46
21- अनुरकक्षण एवं मरमत व्यय (मेन्टीनेन्स)	0.01	0.00
29- प्रशिक्षण एवं भ्रमण एवं सम्मलेन व्यय	1.00	0.00
36- वाहन किराया	3.60	3.04
37-वर्दियाँ एवं अन्य सुविधाएं	0.02	0.00
41- संविदा व्यय	0.01	0.00
42- प्रोत्साहन राशि	0.01	0.00
62- सूचना संचार एवं तकनीकी उपकरणों पर व्यय	0.50	0.36

बजट मद/उपमद	बजट प्रावधान 2021-22	माह 12/2021 तक व्यय (अनुमानित) राशि लाखों में
योग 03- (01)- अधीक्षण	**313.16**	**180.53**
03- पंजीकरण (03)- जिला संगठन (राज्य निधि)		
01- संवेतन	4818.00	4247.37
03- यात्रा व्यय	11.00	9.28
04- चिकित्सा व्यय	19.28	17.59
05- कार्यालय व्यय	150.00	106.62
07- वाहनों का संघारण	13.00	12.30
08- वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएं	25.00	18.82
09- कर/किराया एवं रायल्टी	14.81	2.49
11-विज्ञापन प्रचार/प्रसार व्यय	8.00	1.79
32- डिकीटल चार्जेज	0.34	0.33
36- वाहन किराया	23.28	15.27
37- वर्दियाँ एवं अन्य सुविधाएं	0.08	0.04
41- संविदा व्यय	205.00	118.14
62- सूचना संचार एवं तकनीकी उपकरणों पर व्यय	276.79	180.96
योग 03-(03)	**5564.58**	**4731.00**
महायोग- 2030- स्टाम्प और पंजीकरण	**10953.41**	**9936.52**

विभाग के मुख्य अधिकारियों के नाम/पदनाम/दूरभाष/मोबोईल नम्बर :–

वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्तर पर

क्र.सं	नाम	पद	कार्यालय	मोबाईल
1.	श्री अखिल अरोरा	प्रमुख शासन सचिव, वित्त	2227664	
2.	श्री टी. रविकान्त	शासन सचिव वित्त (राजस्व)	2227711	
3.	सुश्री टीना डाबी	संयुक्त शासन सचिव,वित्त (कर)	2227162	

विभाग के मुख्यालय स्तर पर

क्र.सं	नाम	पद	मोबाईल	कार्यालय
1.	श्री महावीर प्रसाद	महानिरीक्षक	9461046911	2971201
2.	श्री ओंकार मल	अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)	9414317730	2971203
3.	श्री भगवत सिंह राठौड	अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन)	9829234488	2971204
4.	श्री नरेन्द्र कुमार माथुर	वित्तीय सलाहकार	9414004257	2971205
5.	श्रीमती आनन्द आशुतोष	उप वित्तीय सलाहकार	9414232472	2971205
6.	श्रीमती अनिता चौधरी	उप महानिरीक्षक (कर)	9414514669	
7.	श्री हरीश कुमार शर्मा	संयुक्त विधि परामर्शी	9460179011	2971207
8.	श्री बरकत उल्लाह सुलतानी	उप विधि परामर्शी	9828170127	
9.	श्री योगेश कुमार	सिस्टम ऍनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	9414007102	2971208
10.	श्रीमती श्रुति कीर्ति गुप्ता	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	9414707899	
11.	श्री शेर सिंह खदाव	लेखाधिकारी	8947018106	2971206
12.	श्री संगीता रामचन्दानी	प्रोग्रामर	9462071286	
13.	श्री योगेश कमल किशोर चितलांगिया	प्रोग्रामर	7665007912	
14.	श्री रमेश चन्द यादव	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I	9414840833	
15.	श्री उमेश जोशी	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I	9214963975	
16.	श्री राजेश कुमार शर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I	9413042755	
17.	श्री मुरारी लाल खण्डेलवाल	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I	9414707996	
18.	श्री रामकिशोर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I	9530236033	

क्र.सं	नाम	पद	मोबाईल	कार्यालय
19.	श्री लालचन्द चौहान	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I	9829671704	
20.	श्री रामरतन तिवारी	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	9636611188	

विभागीय वेबसाईट : http://www.igrs.rajasthan.gov.in

ई-मेल : igrs@rajasthan.gov.in, फैक्स नम्बर - 0145-2971202

अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर/उप महानिरीक्षकगण

क्र. स.	नाम	वृत	मोबाईल	कार्यालय
1	2	3	4	5
1.	श्री सुनील भाटी	अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) जयपुर	94133-49447	0141-2740503
2.	श्री रामावतार गुर्जर (अतिरिक्त कार्यभार)	उप महानिरीक्षक (करापवंचन)	98298-61071	0141-2209044
3.	डा0 विरेन्द्र सिंह	उप महानिरीक्षक जयपुर प्रथम	99503-56867	0141-2209046
4.	श्री भगवत सिंह	उप महानिरीक्षक जयपुर द्वितीय	96800-20677	0141-2209045
5.	श्री रामावतार गुर्जर	उप महानिरीक्षक जयपुर तृतीय	98298-61071	0141-2209044
6.	श्री भगवत सिंह (अतिरिक्त कार्यभार)	उप महानिरीक्षक अजमेर	96800-20677	0145-2627123
7.	श्रीमती सन्जू शर्मा	उप महानिरीक्षक अलवर प्रथम	94143-58883	0144-2344634
8.	श्रीमती अन्जू ओमप्रकाश	उप महानिरीक्षक अलवर द्वितीय	98292-41410	0144-2736212
9.	श्री उत्तम सिंह	उप महानिरीक्षक भरतपुर	98293-24062	05644-222297
10.	सुश्री ऋषिबाला श्रीमाली	उप महानिरीक्षक बीकानेर	94616-26261	0151-2226641
11.	श्री दीपेन्द्र सिंह राठौड़	उप महानिरीक्षक बाँसवाडा	95719-73272	02962-294477
12.	श्री मुन्नीराम बगडिया	उप महानिरीक्षक भीलवाडा	98299-77198	01482-232619
13.	श्री कैलाश चन्द्र	उप महानिरीक्षक हनुमानगढ	94146-30961	01552-260778

क्र. स.	नाम	वृत	मोबाईल	कार्यालय
1	2	3	4	5
14.	श्री उदयभानू चारण (अतिरिक्त कार्यभार)	उप महानिरीक्षक जोधपुर	94143-84783	0291-2556613
15.	श्री उदयभानू चारण	उप महानिरीक्षक पाली	94143-84783	02932-225091
16.	श्री सावन कुमार चायल	उप महानिरीक्षक उदयपुर	94602-05745	0294-2422367
17.	श्री बाल कृष्ण तिवारी	उप महानिरीक्षक कोटा	94143-67650	0744-2327033
18.	श्री जयप्रकाश नारायण	उप महानिरीक्षक सीकर	95304-87850	01572-294272
19.	श्री सुरेन्द्र सिंह मीना	उप महानिरीक्षक बाडमेर	75972-85511	02982-222308

राजस्थान में पूर्णकालिक उप पंजीयकों की सूची

क्र. सं.	जिला	पूर्णकालिक उप पंजीयक
1	अजमेर	1. अजमेर-प्रथम
		2. अजमेर- द्वितीय
		3. ब्यावर
		4. किशनगढ
2	अलवर	1. अलवर-प्रथम
		2. अलवर-द्वितीय
		3. बहरोड
		4. भिवाड़ी
		5. नीमराना
		6. तिजारा
		7. रामगढ
		8. बहादुरपुर
		9. बानसूर
		10. किशनगढबास
		11. कोटकासिम
		12. मुण्डावर
3	बांसवाडा	1. बांसवाडा
4	बारां	1. बारां
5	बून्दी	1. बून्दी
6	बाडमेर	1. बाडमेर
		2. जसौल
7	भरतपुर	1. भरतपुर
8	भीलवाडा	1. भीलवाडा-प्रथम
		2. भीलवाडा-द्वितीय
9	बीकानेर	1. बीकानेर-प्रथम
		2. बीकानेर-द्वितीय
		3. बीकानेर-तृतीय
		4. नोखा
10	चित्तौडगढ	1. चित्तौडगढ
		2. निम्बाहेडा

क्र. सं.	जिला	पूर्णकालिक उप पंजीयक
11	चुरू	1. चुरू
		2. सुजानगढ
12	दौसा	1. दौसा
13	धौलपुर	1. धौलपुर
14	डूंगरपुर	1.डूंगरपुर
15	हनुमानगढ	1. हनुमानगढ
		2. नोहर
16	जयपुर	1. जयपुर-प्रथम
		2. जयपुर-द्वितीय
		3. जयपुर-तृतीय
		4. जयपुर-चतुर्थ
		5. जयपुर-पंचम
		6. जयपुर-षष्टम
		7. जयपुर-सप्तम्
		8. जयपुर-अष्ट्म
		9. जयपुर-नवम
		10. जयपुर-दशम
		11. चौमू
		12. आमेर
		13. सांगानेर-प्रथम
		14. सांगानेर-द्वितीय
		15. कोटपूतली
		16. बस्सी
		17. चाकसू
		18. जमवारामगढ
		19. माधोराजपुरा
		20. फागी
		21. सांभर
		22. शाहपुरा
		23. दूदू

क्र. सं.	जिला	पूर्णकालिक उप पंजीयक
17	जैसलमेर	1. जैसलमेर
		2. पोकरण
18	जालौर	1. जालौर
		2. भीनमाल
		3. सांचौर
19	झालावाड	1. झालावाड
20	झुन्झुनू	1. झुन्झुनू
		2. नवलगढ
		3. सुरजगढ
21	जोधपुर	1. जोधपुर-प्रथम
		2. जोधपुर-द्वितीय
		3. जोधपुर-तृतीय
		4. जोधपुर-चतुर्थ
		5. जोधपुर-पंचम
		6. फलौदी
		7. तिवरी
		8. लूणी
		9. झंवर
22	कोटा	1. कोटा-प्रथम
		2. कोटा-द्वितीय
23	करौली	1. करौली
		2. हिण्डौन
24	नागौर	1. नागौर
		2. मेडता सिटी
		3. कुचामनसिटी
25	पाली	1. पाली-प्रथम
		2. पाली-द्वितीय

क्र. सं.	जिला	पूर्णकालिक उप पंजीयक
		3. सुमेरपुर
		4. सोजत
		5. बाली
		6. देसूरी
		7. रोहट
26	प्रतापगढ	1. प्रतापगढ
27	राजसमन्द	1. राजसमन्द
		2. नाथद्वारा
28	सवाईमाधोपुर	1. सवाईमाधोपुर
29	श्रीगंगानगर	1. श्रीगंगानगर
		2. अनूपगढ
		3. सूरतगढ
		4. श्रीविजयनगर
30	सीकर	1. सीकर
		2. दातारामगढ
		3. नीमकाथाना
		4. श्रीमाधोपुर
31	सिरोही	1. सिरोही
		2. आबूरोड
		3. शिवगंज
32	टोंक	1. टोंक
		2. निवाई
		3. मालपुरा
33	उदयपुर	1. उदयपुर-प्रथम
		2. उदयपुर-द्वितीय
		3. मावली

विभाग की प्रशासनिक संरचना

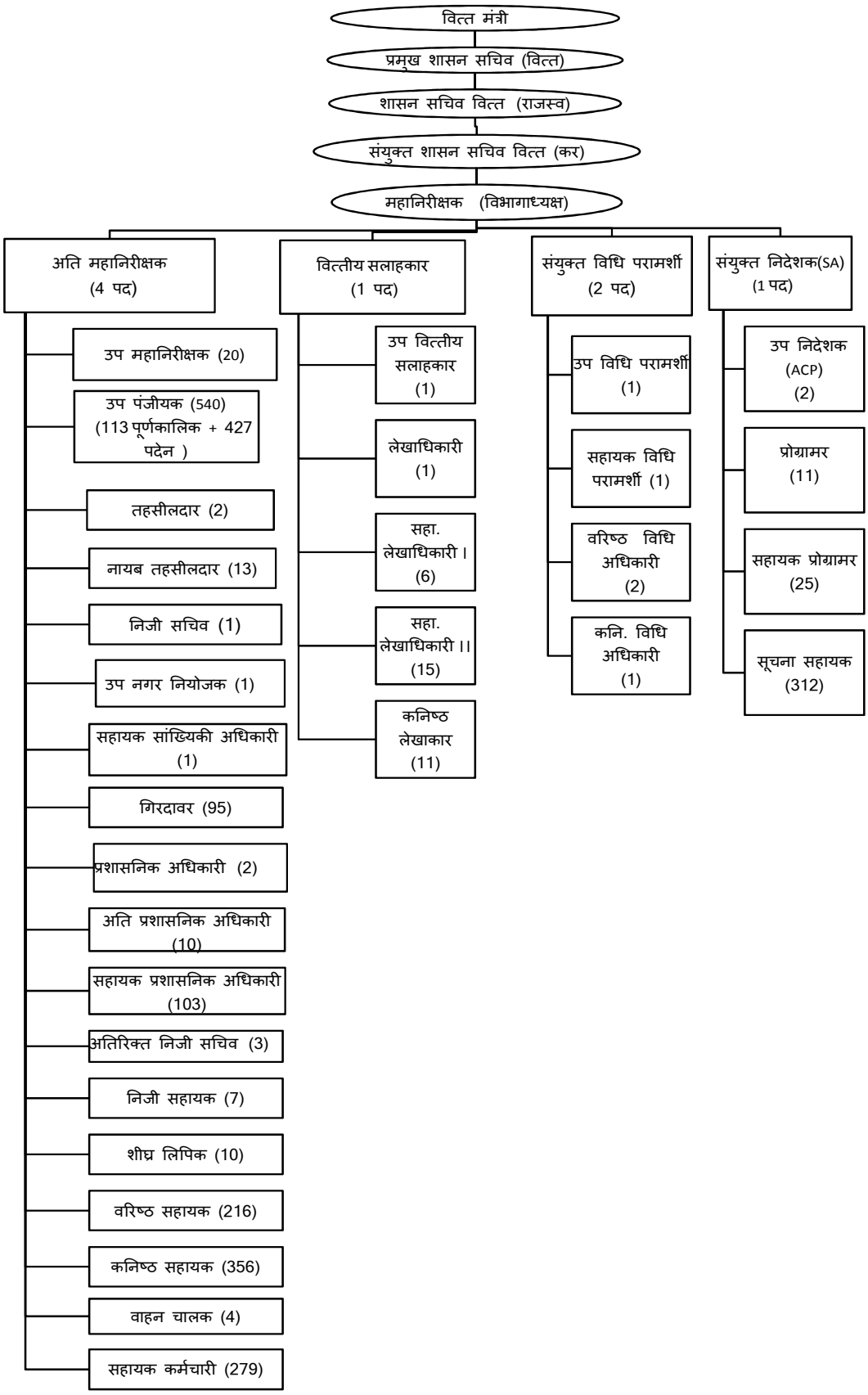

सार–संक्षेप

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग वर्तमान में मुख्यतः राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 खण्ड प्रथम व द्वितीय को प्रशासित एवं क्रियान्वयन का कार्य कर रहा है।

विभाग, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधीन कार्यरत है। विभाग में स्टाम्प ड्यूटी के रूप में शुल्क की वसूली एवं दस्तावेजों का तत्काल पंजीयन करने के लिये 17 वृत्त कार्यालय, 540 उप पंजीयक (113 पूर्णकालिक एवं 427 पदेन) कार्यालयों में विभाजित किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये राजस्व लक्ष्य ₹ 6100 करोड़ रूपये निर्धारित है, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा माह दिसम्बर 2021 तक कुल ₹ 4581.16 करोड़ रूपये राजस्व एकत्रित किया गया है।

मुद्रांक प्रकरणों में बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट की विशेष राहत योजना जारी कर ब्याज एवं शास्ति में दिनांक 10.12.2020 से 31.03.2021 तक कुल राशि ₹ 60.46 करोड़ ब्याज शास्ति की रियायत दी जाकर कुल राशि ₹ 79.45 करोड़ की वसूली की गयी। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.03.2022 तक भी विशेष राहत योजना जारी की गयी है।

आमजन की सुविधा के लिये उठाये गये कदमों के अंतर्गत विभाग के ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में दस्तावेजों के प्रारूप ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये हैं। इन प्रारूपों के आधार पर व्यक्ति अपना दस्तावेज स्वयं तैयार कर सकता है। स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का ऑनलाईन भुगतान ई–ग्रास एवं ई–स्टाम्प के माध्यम से करने की सुविधा दी गई है। मौका निरीक्षण मोबाईल एप के माध्यम से पंजीबद्ध दस्तावेज में उल्लेखित सम्पति का मौका निरीक्षण का कार्य समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में किया जा रहा है। आमजन को राहत प्रदान करने के लिए ऑनलाईन रिफण्ड माडयूल दिनांक 30.07.2021 से समस्त राजस्थान में लागू कर दिया गया है। यह एक सिंगल विण्डों मॉड्यूल है, जिसमें रिफण्ड के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है तथा रिफण्ड की रकम सीधे आवेदक के खाते में जमा हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कतिपय दस्तावेजों का "Anywhere-Online Registration" करने का प्रावधान किया जाएगा।

विभाग द्वारा जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की अनुपालना भिजवाई जा चुकी है।